राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1506/2025

अब्दुल कय्यूम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–2), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री रेना कुमारी मालव, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचसी, सारोलाकलां, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारोलाकलां, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर किया गया है और उसे कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री रेना कुमारी मालव को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। जबकि अपीलार्थी हृदय एवं मधुमेह बीमारी से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार

चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी मधुमेह बीमारी से पीडित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आदेशों को डॉ. अजय कुमार शर्मा वाले मामले में अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानांतरण सारोलाकलां से जोधपुर किया गया। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है और इस प्रकार लगभग 9–10 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्यत्र स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से लोकहित में किया गया है, जिसमें हम कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। आदेश दिनांक 27.01.2025 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के पदस्थापन स्थान मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के स्थान पर उम्मेद अस्पताल, जोधपुर एवं अपीलार्थी के नवीन पदस्थापन स्थान मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर के स्थान पर उम्मेद अस्पताल, जोधपुर पढा जाने के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया गया है। जो केवल लिपिक या त्रुटि में सुधार है और इस कारण से स्थानान्तरण त्रुटीपुर्ण होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हम स्थानांतरण आलोच्य आदेश में कोई विधि एवं नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष